## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 122/2013/जोधपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या - 325/2010/जोधपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, जोधपुर.

....अपीलार्थी (अप्रार्थी)

बनाम

मैसर्स उत्तमचंद जैन एण्ड कम्पनी, मण्डोर रोड़, जोधपुर.

....प्रत्यर्थी (प्रार्थी)

### <u>एकलपीठ</u> श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे. एल. राठी, अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा, उप—राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/12/2014

#### निर्णय

- 1. यह परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स उत्तमचंद जैन एण्ड कम्पनी, जोधपुर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 325/2010/जोधपुर में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 15.11.2011 में परिशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, जोधपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 27.5.96 को वाहन संख्या ए.पी.16वी / 1358 को चैक किये जाने पर वाहन में 200 बैग्स (10000 किग्रा.) कोपरा (गोटा) आंध्रप्रदेश से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित घोषणा—पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर सक्षम अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 3.6.96 पारित करते हुए प्रार्थी व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति रूपये 55,430 / का आरोपण आदेश दिनांक 3.6.96 से किया।

द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष सिविल रिविजन संख्या 433/05 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स डी. पी. मैटल्स प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पुनः निर्णय पारित करें। इस पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में पुनः आदेश दिनांक 24.8.2009 पारित करते हुए प्रार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 325/2010 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा विवादित आदेश दिनांक 15.11.2011 पारित करते हुए विभाग की अपील स्वीकार करते हुए, सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 3.6.96 पुनर्स्थापित किया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- 4. प्रार्थी व्यवहारी के परिशोधन प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
- 5. प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एवं प्रकरण के तथ्यों की समुचित रूप से व्याख्या किये बिना, सन्दर्भित आदेश से अप्रार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर, सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 3.6.96 बहाल किया गया है। जबिक प्रकरण के तथ्यानुसार प्रार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओं नोटिस की पालना में घोषणा—पत्र एस.टी.18ए संख्या 519015 प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना हो जाती है। ऐसी स्थित में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध थी, जिसे बहाल किये जाने में माननीय एकलपीठ द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। इसके साथ ही न्यायिक दृष्टान्त (2013) 20 वेट रिपोर्टर 36, 38 एवं 17 वैट रिपोर्टर पार्ट—। पेज नं0 2 प्रस्तुत किये। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने परिशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए, अप्रार्थी राजस्व की अपील संख्या 325/2010/जोधपुर अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
- 6. अपीलार्थी (अप्रार्थी) विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड के सन्दर्भित निर्णय का समर्थन किया तथा कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित घोषणा-पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथा कारण बताओ नोटिस की पालना में नया घोषणा-पत्र तैयार कर प्रस्तुत कर्नाटा अ

किया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 की अनुपालना में स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि नोटिस की पालना में केवल वे ही दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो कि संव्यवहार के समय मौजूद हों, किन्तु किन्हीं कारणवश प्रस्तुत नहीं किये जा सके हो। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट था कि वक्त जांच घोषणा—पत्र मौजूद नहीं था, जो नोटिस की पालना में नया तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय एकलपीठ द्वारा अपीलार्थी (अप्रार्थी) राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी का आदेश बहाल किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 37, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :--

#### Section 37- Rectification of a mistake.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

(1) With a view to rectifying any mistake <u>apparent from the record</u>, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

hojsol\_

# Section 33. Rectification of a mistake. – (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.
- Explanation. A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.
  - (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
  - (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
  - (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
  - (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.
- 8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मैटल्स में निम्न व्यवस्था दी गयी है:--

".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same.

Following the decisions of this Court in cases of Sodhi Transport Co. and others (supra), Delite Carriers (supra), Indian Roadways Corporation (supra) Sarna Transport Corporation (supra) and Tripura Goods Transport Association (supra) we hold that the provisions of Section 78(5) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 are valid and the impugned decision of the High Court in this regard is not correct. These appeals, except Civil Appeal No. 1321 of 2001, are accordingly allowed. Civil Appeal No. 1321 of 2001 is dismissed. Parties to bear their own costs."

9. उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2011 में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

काराम

- 10. प्रत्यर्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र में उल्लेखित धारा के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये गये तथ्य व विधिक स्थिति के क्रम में हस्तगत प्रकरण में अभिलेख से प्रकट भूल होने की स्थिति में ही उक्त धारा प्रयोग किये जाने योग्य (Excercisable) है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है:—
  - "18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.
  - 19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."
- 11. उपरोक्त विवेचना के पश्चात निष्कर्ष है कि परिशोधन प्रार्थना—पत्र में प्रस्तुत किये गये तर्कों में निर्णय को गलत निर्वचित किया हुआ बताने के कारण प्रकरण में अभिलेख से प्रकट तथ्य या विधि की भूल होना नहीं पाया जाता है। निर्णय का पुनरावलोकन धारा 33 की परिधि व विषयक्षेत्र में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2011) 29 टैक्स अपडेट 253, जो पैरा संख्या 10 में वर्णित है, के आलोक में परिशोधन प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

सदस्य